1. सुनियोजित विवाह
(*Arranged Marriage*)

इसका अर्थ सुनिश्चित किया गया विवाह होता है। यह विवाह सामाजिक रूप से होता है। इस व्यवस्था में विवाह-कार्य बड़े-बुजुर्गों के आज्ञानुसार होता है। यह विवाह सामाजिक नियमों के अनुसार होता है, भले ही जाति तथा धर्म की विभिन्नता के कारण इनका रूप अलग-अलग हो। हिन्दू धर्मशास्त्रों में सुनियोजित विवाह का उल्लेख—ब्रह्म-विवाह के रूप में देखा जाता है। "मनु" के अनुसार, "पिता द्वारा आमंत्रित किसी योग्य व पारंगत, सुचरित्र तथा शीलवान वर को अभूषण से युक्त कन्या जब दान दी जाती है तो यह विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है।" यह विवाह वर तथा कन्या पक्षों के लोगों की उपस्थिति में होता है। इस प्रकार समाज इसे मान्यता देता है। ऐसे विवाह में अगर पति-पत्नी के बीच कोई सामंजस्य की समस्या आती है तो समाज उसे सुलझाने की कोशिश भी करता है। इस विवाह के अन्तर्गत जीवन-साथी के चुनाव के बाद सगाई, तिलक, विवाह, विदाई आदि की रस्में पूरी की जाती है। पति एवं पत्नी जन्म भर साथ निभाने का

Scanned with CamScanner

संकल्प लेते हैं और आध्यात्मिक रूप से एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के विवाह को तय करते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्न हैं :

(a) दोनों परिवारों का सामाजिक पृष्ठभूमि,
(b) दोनों परिवारों के रहन-सहन का स्तर,
(c) वर-वधू की आयु
(d) जातीय समानता,
(e) स्वस्थ यौन अभिवृत्तियाँ

इस प्रकार सुनियोजित विवाह (arranged marriage) में दोनों पक्षों की सामाजिक पृष्ठभूमि में समानता देखी जाती है। इसके अन्तर्गत शिक्षा तथा व्यवसाय को भी ध्यान में रखा जाता है. शैक्षिक स्तर समान होने पर ही दोनों परिवारों की लक्ष्य, अभिवृत्ति, रुचि जीवन-दर्शन में समानता आती है जिसके कारण समायोजन सही होता है। वर-वधू की आयु, जाति तथा परिवार के सामाजिक, आर्थिक रहन-सहन के स्तर में समानता होने पर ही सामंजस्य सही एवं आसानी से होता है।

लाभ

(Advantages) :

(i) धार्मिक लाभ : हमारा समाज अभी तक धार्मिक रूप नैतिक बंधनों से जुड़ा हुआ है। विवाह के समय अनेक धार्मिक क्रियाएँ होती हैं। ऐसे पवित्र एवं धार्मिक वातावरण में जो विवाह की रस्म पूरी होती है, उसमें एक पवित्रता होती है—उसके साथ एक भावनात्मक सम्बन्ध जुड़ जाता है। भावनात्मक सम्बन्ध के साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध भी पाया जाता है जो कि शारीरिक आकर्षण से भी उच्च होता है।

(ii) अनुभवों का लाभ : यह विवाह माता-पिता बड़े-बुजुर्गों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ये लोग जिन्दगी की वास्तविकता को समझते हुए जीवन-साथी का चुनाव करते हैं। इसमें परिपक्वता का भी महत्त्व रहता है जो बड़े-बुजुर्गों में ज्यादा होती है। यही कारण है कि यह अधिक सफल होता है क्योंकि उसमें मात्र शारीरिक आकर्षण ही सब कुछ नहीं होता है।

(iii) सामाजिक लाभ : चूँकि यह विवाह सामाजिक रूप से होता है, इसी कारण इसे समाज एवं सरकार दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और सारी सामाजिक सुविधाएँ इन्हें प्राप्त होती हैं। यदि पत्नी-पति के बीच कोई समायोजन की समस्या है तो समाज पति-पत्नी को समझाने का प्रयत्न करता है।

(iv) आर्थिक लाभ : इसके अन्तर्गत माता-पिता आर्थिक निर्भरता की परख करते हैं। वे विवाह के बाद किसी प्रकार का आर्थिक संकट उपस्थित नहीं होने देते हैं। हम अपने समाज में देखते हैं कि प्रेम-विवाह में नव दम्पति को प्रारम्भ में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्रमिक विवाह में ऐसा देखने को नहीं के बराबर ही मिलता है।

(v) परम्परागत लाभ : यह विवाह धार्मिक संस्था द्वारा सम्पन्न होता है। इसी के आधार पर इसे तोड़ना पाप समझा जाता है। यह हिन्दू परिवार को संगठित करता है।

(vi) प्रेम और त्याग : इस विवाह का दृष्टिकोण भौतिकवादी न होकर परस्पर प्रेम, परोपकार, दया एवं त्याग तथा सहनशीलता की भावना पर आधारित

Scanned with CamScanner

होता है जिससे इसमें अधिक स्थायित्व आता है। पति-पत्नी आपसी दूरियों को त्याग की भावना से दूर कर देते हैं और सुख-दुःख में साथ देते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं।

(vii) उचित समायोजन : यह विवाह ऐच्छिक विवाह से अधिक टिकाऊ एवं समायोजनपूर्ण होता है। इसमें तलाक की सम्भावना कम रहती है क्योंकि ऐसा विवाह शारीरिक आकर्षण के आधार पर नहीं होता है। उपयुक्त लाभों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुनियोजित विवाह में उचित समायोजन पाया जाता है।

दोष
(Disadvantages) :

उपर्युक्त लाभों के बावजूद सुनियोजित विवाह में कई महत्त्वपूर्ण दोष भी पाए जाते हैं :

(i) निरंकुशता : हमारे समाज में अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ विवाह के सन्दर्भ में लड़का-लड़की की मर्जी को जानना आवश्यक नहीं समझा जाता है; वहाँ अभिभावक अपनी मर्जी से शादी करते हैं। ऐसा करने पर पति-पत्नी को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और आपसी समायोजन करने का अधिक अवसर नहीं मिल पाता है। साधारणत: ऐसे विवाहों में पति-पत्नी की योग्यता, शिक्षा, रुचि, आयु आदि में अधिक अन्तर हो जाता है। परन्तु ऐच्छिक विवाह ठीक उसके विपरीत ही होता है।

(ii) दहेज प्रथा : इस विवाह का आजकल व्यापारीकरण हो रहा है जो हमें दहेज-प्रथा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिल रहा है। यह इस समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। इसमें लड़के वाले अधिक दहेज की सूची लड़की वालों के समक्ष रख देते हैं, भले ही लड़की वाला इतनी रकम देने में असमथ ही क्यों न हो। यही बाद में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है।

(iii) जातिवाद को प्रोत्साहन : सुनियोजित विवाह में अन्तर्जातीय विवाह को महत्त्व न देकर जातिवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है। जाति, सम्प्रदाय, गोत्र आदि के कारण ही वर-वधू के चुनाव में अधिक कठिनाई होती है और बहुत व्यक्ति अविवाहित रह जाते हैं। हम जानते हैं कि दहेज-प्रथा दूर करने के लिए सबसे अच्छा अन्तर्जातीय विवाह है।

Scanned with CamScanner